



# महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous Organization under Ministry of Education, Govt. of India)

17-3/2026(प्र/वि)/मसारावेविप्र/

दिनांक 08-06-2026

कार्यालय आदेश - 2026

**विषय:** सप्तम वर्ष में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु विशेष शिक्षण/रेमेडियल कक्षाएं संचालित करने के संबंध में।

सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025-26 के परीक्षा परिणाम अनुसार सप्तम वर्ष के कई छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे समस्त छात्रों हेतु विशेष शिक्षण/रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जाना आवश्यक है। शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों के अध्यापन एवं शैक्षणिक प्रगति का उत्तरदायित्व संबंधित वेद गुरु एवं विषय अध्यापक का होता है।

अतः समस्त वेदपाठशालाओं/गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों के गुरु/अध्यापक का दायित्व है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात स्व-मूल्यांकन करें तथा यह समीक्षा करें कि उनके द्वारा अध्यापन किए गए छात्रों में कितने छात्र उत्तीर्ण एवं कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। स्व-मूल्यांकन के उपरांत जिन गुरु/अध्यापकों के अध्यापनाधीन छात्र अनुत्तीर्ण पाए गए हैं, वे संबंधित छात्रों के लिए विशेष सुधारात्मक (रेमेडियल) कक्षाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करें, ताकि उनकी शैक्षणिक कमियों का निराकरण किया जा सके एवं आगामी परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार हो।

सुधारात्मक (रेमेडियल) कक्षाओं का समुचित अभिलेख संधारित किया जाए तथा पूर्व में जारी आदेश क्र 2023 दिनांक 08.06.2026 के निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

*(Handwritten signature and date 8/6/2026)*

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक (शै) एवं सहायक निदेशक (परीक्षा) को सूचनार्थ ।
2. अनुभाग अधिकारी को सूचनार्थ ।
3. समस्त वेद पाठशालाओं/गुरु शिष्य परंपरा इकाइयों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशित ।
4. कार्यालयी आदेश पत्रावली